

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती कान्ता वनाम शान्तीलाल (नर्स)

किरम मुकदमा प्रौ.पत्र 111-128 नं. 186 सन 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09-12-22	<p>वाद / प्राथनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 10.1.23 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शाख के किये गये । विपक्षीगण को कितनी बार कक-ककआवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं । उनके बिकर एक तरफ कार्यवाही किये जाने का अडिम दिया जाता है । वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही । बहस युकी गयी । वकील प्रार्थी का प्रौ.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय मुकदमे से लिखा जाकर शाख दिया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर मम्बर से कम थी ।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या- 186/22 प्र/पत्र

1- श्रीमती कान्ता देवी देवियाम खरोड़ (गहाण्डा)-निवासी- बागौर तहसील माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

1- शांतीलाल जोशी भागीलाल आचार्य निवासी बागौर तहसील माण्डल (करीम)
(हस्ताक्षर प्रमाणित)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 10-01-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागौर पटवार हल्का बागौर तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2106/1, 7787/2 कुल किता 02 रकबा 0.1644 हेक्टर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09-12-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागौर पटवार हल्का बागौर तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2106/1, 7787/2 कुल किता 02 रकबा 0.1644 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागौर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगढ़ी की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालंगा रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा